दिनांक : 05 फरवरी, 2014

साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक लाने के बारे में मेरा विरोध

-अरुण जेटली
राज्य सभा में विपक्ष के नेता

गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे आज सदन में साम्प्रदायिक हिंसा निरोधक (न्याय और क्षतिपूर्ति) विधेयक 2014 रखना चाहते थे। मैंने इस विधेयक को रखने पर इस आधार पर आपत्ति की कि इसे कानून बनाने के लिए संसद में विधि सम्बन्धी योग्यता का अभाव है। मेरा विरोध संविधान की सातवीं अनुसूची में शामिल विधि सम्बन्धी प्रविष्टि के आधार पर था। सातवीं अनुसूची की सूची 2 राज्य की सूची है। प्रविष्टि 1 शांति व्यवस्था को संबोधित करती है। प्रविष्टि 2 पुलिस को और प्रविष्टि 41 राज्यों की सार्वजनिक सेवाओं को संबोधित करती है। ये सभी मुद्दे पूरी तरह से राज्य के अधिकार क्षेत्र में हैं। संसद के पास इन मुद्दों पर कानून बनाने की वैधानिक योग्यता नहीं है।

प्रस्तावित रुप में विधेयक ने अपराधों की एक नई श्रेणी बना दी है। इसमें जो इलाके गड़बड़ी वाले हैं उन इलाकों की घोषणा करने और उन्हें अधिसूचित करने की बात है। इसमें साम्प्रदायिक हिंसा की रोकथाम के लिए कदम सुझाए गए हैं। इसमें एक अध्याय है जो शांति व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित है। इसके बाद इसमें मुआवजे की प्रक्रिया और राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई और उन पर जो जुर्माना लगाया जा सकता है उसकी चर्चा है। ये सभी मामले राज्य कार्यकारिणी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केन्द्रीय कानून मंत्री का जवाब था कि संघीय ढांचे के लिए तब तक कोई खतरा नहीं है जब तक प्रत्येक विषय के संबंध में अधिकार राज्य कार्यकारिणी के पास है। मेरा जवाब था कि विधायी शक्ति और कार्यकारिणी की शक्ति के बीच स्पष्ट अंतर है। विधायी शक्ति कानून बनाने की शक्ति है। कार्यकारिणी की शक्ति आवश्यक कदम उठाने के लिए कानून के अंतर्गत एक शक्ति है। मेरी आपत्ति विधि संबंधी योग्यता की कमी को लेकर थी। केन्द्र यह नहीं कह सकता कि कानून बनाकर, मैं राज्य के अधिकारियों को अधिकार दे रहा हूं क्योंकि सूची 2, प्रविष्टि 1, 2, 41 के अंतर्गत पहली नजर में अधिकार केन्द्र के पास नहीं है। लगभग सभी विपक्षी दलों ने भाजपा के विचार का समर्थन किया। अतः यह विधेयक शुरु में ही रोक दिया गया।

★★★★★